मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2013-भाद्र 1, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

सार्वजनिक सूचना-पत्र

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री नाकोड़ा कन्ट्रक्शन, कम्पनी पता-3-4, डायमण्ड कालोनी, इंदौर (म.प्र.) भागीदारी फर्म से श्रीमति स्निग्धा जैन पति स्व. श्री आशीष जैन, दिनांक 20 फरवरी, 2013 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है.

एतद् अनुसार सूचित होवें.

For Shree Nakoda Construction Co.
ABHAY JAIN,
Partner.

(279-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स, माँ भगवती स्टोन क्रेशर तमरी, साझेदारी फर्म के साझीदार क्रमांक-01, राजेन्द्र सिंह तनय, श्री तुलसीदास सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट खैरा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं साझीदार क्रमांक-02, जयपेन्द्र सिंह तनय, श्री जय सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट अजगरहा, तहसील हुंजूर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश साझेदार थे, उपरोक्त दोनों साझीदार द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 01 जून, 2003 को फर्म का विधि अनुसार समापन कर दिया है, जिसकी विधिवत समापन डीड दिनांक 05 जून, 2013 को उभयपक्षों द्वारा निष्पादित कर दी गई है व फर्म के समापन की कार्यवाही फर्म एण्ड सोसायटी पंजीयक के कार्यालय में की जानी है, जिस किसी भी व्यक्ति फर्म या संस्था या निकाय को आपत्ति हो तो अपना पक्ष रखें सर्व-साधारण को सूचना हेतु यह आम सूचना जारी की जा रही है.

भवदीय
(राजेन्द्र सिंह) पार्टनर,
(जयपेन्द्र सिंह) पार्टनर.

(281-बी.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि श्री ओम प्रकाश अग्रवाल आत्मज श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल, निवासी गोटेगांव (श्रीधाम), जिला नरसिंहपुर अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म सोनीलाल फकीरचंद गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से रिटायर हो गये है. उक्त रिटायर के पश्चात भागीदारी पुर्नगठन का विलेख दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को लिखित कर लिया गया है.

आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित.

वास्ते फर्म सोनीलाल फकीरचंद
द्वारका प्रसाद अग्रवाल,
पार्टनर,
गोटेगांव (म.प्र.).

(286-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Laxman Singh Meena S/o Khushi Lal Meena, age about 43 years doing agriculture and R/O, house No.21, ward No. 15, Nayapura, Kolar Road, District Bhopal-462042. (M.P.) has change My name and hence forth. I shall be known as, Laxmi Narayan (To), Laxman Singh Meena in future.

Old Name :

(LAXMI NARAYAN)

New Name :

(LAXMAN SINGH MEENA)
Address-House No. 21, Ward No. 15,
Nayapura, Kolar Road,
District Bhopal-462042. (M.P.)

(270-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम उमाशंकर सेठ था, अब मैंने अपना नाम उमाशंकर साहू रख लिया है. अत: मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(उमाशंकर सेठ)

नया नाम :

(उमाशंकर साहू)
नारायण नगर, होशंगाबाद, (म.प्र.).

(271-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रीमति पूनम सेठ था, अब मैंने अपना नाम श्रीमति पूनम साहू रख लिया है. अत: मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(पूनम सेठ)

नया नाम :

(पूनम साहू)
नारायण नगर, होशंगाबाद (म.प्र.).

(272-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम द्वारका सेठ था, अब मैंने अपना नाम द्वारका साहू रख लिया है. अत: मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(द्वारका सेठ)

नया नाम :

(द्वारका साहू)
प्रोफेसर कॉलौनी, आनंद नगर,
होशंगाबाद (म.प्र.).

(273-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सची सेठ था, अब मैंने अपना नाम सची साहू रख लिया है. अत: मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(सची सेठ)

नया नाम :

(सची साहू)
प्रोफेसर कॉलौनी, आनंद नगर,
होशंगाबाद (म.प्र.).

(274-बी.)

नाम परिवर्तन

श्री अमित कॅवर आत्मज श्री हरबंस सिंह कंवर, की माँ का नाम स्व. श्रीमति प्रतिमा कॅवर है जबकि भूलवश श्रीमति वैशाली कॅवर का नाम सी. बी. एस. ई. सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा 2010 (10+2) में अंकित हो गया है.

हरबंस सिंह कॅवर,
वर्तमान निवासी-जूनियर एमआईजी-5/ई-3,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.).

(275-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, सुनील कुमार रजक आत्मज स्व. श्री छोटेलाल रजक, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, होशंगाबाद, तहसील व जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश का निवासी हूँ तथा एम. पी. स्टेट एग्रो कार्यालय में कार्यरत हूँ. मेरा नाम एम. पी. स्टेट एग्रो में एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में सुनील कुमार रजक आ. स्व. श्री छोटेलाल रजक अंकित हैं. अब मैने अपना उपनाम परिवर्तित कर सुनील कुमार सौलंकी रख लिया हैं. अत: भविष्य में मुझे मेरे नये नाम सुनील कुमार सौलंकी के नाम से जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम :
(सुनील कुमार रजक)

नया नाम :
(सुनील कुमार सौलंकी)
LIG-B 307, हाऊसिंग वोर्ड कॉलोनी,
होशंगाबाद (म.प्र.).

(276-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र वर्तमान में ऋषी गालव पब्लिक स्कूल बी-ब्लॉक, डी. डी. नगर ग्वालियर में कक्षा 10 वीं का छात्र है. मेरे पुत्र का नाम स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में ओमवीर सिंह जादौन पुत्र श्री जय प्रकाश सिंह जादौन अंकित है, जो कि त्रुटि पूर्ण है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम ओमवीर सिंह पुत्र श्री जयप्रकाश सिंह है. अत: भविष्य में पुत्र को इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

जयप्रकाश सिंह
पुत्र स्व. श्री बहोरी सिंह,
निवासी-सूर्य बिहार कॉलोनी पिन्टो पार्क
ग्वालियर (म.प्र.).

(277-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, Prashant Vijayvargiya Son of Mr. Ashok Vijayvargiya, 14 Nayapura, Guna (M.P.) Universally informing to the public that the mistakes in my last name's (surname) spelling "VIJAYVERGEYA" which is the letter "E" after "V" and the letter "G" has been corrected to letter "A" and letter "I" respectively. The correct last name (surname) should be pronounced as "VIJAYVARGIYA".

Thus my name must be read as "PRASHANT VIJAYVARGIYA"

Old Name :
(PRASHANT VIJAYVERGEYA)

New Name :
(PRASHANT VIJAYVARGIYA)

(278-B.)

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अरविन्द कुमार जैन था, जिसमें मैंने अपना उपनाम बदलकर अरविन्द कुमार जेनावत कर लिया है. अत: अब मुझे मेरे नए नाम अरविन्द कुमार जेनावत से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(अरविन्द कुमार जैन)
(ARVIND KUMAR JAIN)

नया नाम :
(अरविन्द कुमार जेनावत)
(ARVIND KUMAR JENAWAT)
11/10, मीरा पथ, इन्दौर (म.प्र.).

(280-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि मैंने अपना नाम दिव्या त्रिपाठी (DIVYA TRIPATHI) पुत्री श्री नरेन्द्र त्रिपाठी, के स्थान पर दिव्या त्रिपाठी (DIVVYA TRIPAATHI) इन्ही अक्षर विन्यास (SPELLING) से बदल दिया है. भविष्य में मैं दिव्या त्रिपाठी (DIVVYA TRIPAATHI) पुत्री श्री नरेन्द्र त्रिपाठी के नाम से ही भविष्य में जानी-पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(दिव्या त्रिपाठी)
(DIVYA TRIPATHI)

नया नाम :
(दिव्या त्रिपाठी)
(DIVVYA TRIPAATHI)
पता-जूनियर एम. आई. जी. ई. एम.-124,
नेहरू नगर, भोपाल.

(282-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि मैंने अपना नाम दुर्गेश त्रिपाठी पुत्र श्री नरेन्द्र त्रिपाठी के स्थान पर शौर्य त्रिपाठी (SHAURYA TRIPAATHI) इन्ही अक्षर विन्यास से बदल दिया है. भविष्य में शौर्य त्रिपाठी पुत्र नरेन्द्र त्रिपाठी के नाम से ही पुकारा व जाना, पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :
(दुर्गेश त्रिपाठी)
(DURGESH TRIPATHI)

नया नाम :
(शौर्य त्रिपाठी)
(SHAURYA TRIPAATHI)
पता-जूनियर एम. आई. जी. ई. एम.-124,
नेहरू नगर, भोपाल.

(283-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम जयसिंह कुशवाह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह है, मुझ सूचनाकर्ता द्वारा जयसिंह कुशवाह के स्थान पर जय राजावत कर लिया है अब मैं, भविष्य में ''जय राजावत'' के नाम से जाना एवं पहिचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :
(जय सिंह कुशवाह)

नया नाम :
(जय राजावत)
S/o श्री जगन्नाथ सिंह,
Ad. A-416, आनंद नगर बहोडापुर,
ग्वालियर.

(284-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम हेमलता शितोले पुत्री श्री यशवंतराव शितोले, निवासी-मामूलकर की गोठ, कम्पू रोड़, ग्वालियर था. मेरा विवाह दिनांक 11 मई, 2005 को श्री निलेश दुधाने पुत्र स्व. श्री प्रभाकर दुधाने, निवासी इंगले का बाड़ा, लक्कड़खाना, लश्कर, ग्वालियर के साथ हो जाने के उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती नंदनी दुधाने पत्नी श्री निलेश दुधाने कर लिया है. अब मैं श्रीमती नंदनी दुधाने पत्नी श्री निलेश दुधाने के नाम से जानी-पहचानी व पुकारी जाती हूँ. अब मेरे सभी सरकारी व गैरसरकारी व्यवहार श्रीमती नंदनी दुधाने पतिश्री निलेश दुधाने के नाम किये जावेंगे.

पुराना नाम :
(हेमलता शितोले)
(HEMLATA SHITOLE)

नया नाम :
(नंदनी दुधाने)
(NANDINI DUDHANE)

(285-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री अर्थव उत्कर्ष सामाजिक पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय 168/बी, समरपार्क कॉलोनी, ग्राम निपानिया, इन्दौर की ओर से श्रीमती शशी पति सत्यनारायण शर्मा, निवासी 168/बी, समरपार्क कॉलोनी, ग्राम निपानिया, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री अर्थव उत्कर्ष सामाजिक पारमार्थिक ट्रस्ट.
पता	:	168/बी, समरपार्क कॉलोनी, ग्राम निपानिया, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1,100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र).

आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(401)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इम्पलाइज उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक AR/GWR/548, दिनांक 26 नवम्बर, 1990 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1265, दिनांक 02 अगस्त, 1996 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, आर. सी. शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा (18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इम्पलाइज उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(402)

जय बजरंग रेत खदान कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, चांदपुर, पंजीयन क्रमांक AR/GWR/272, दिनांक 20 जुलाई, 1979 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1423, दिनांक 23 मई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा (18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय बजरंग रेत खदान कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, चांदपुर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(402-A)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरीपुर, पंजीयन क्रमांक AR/GWR/753, दिनांक 31 अगस्त, 1994 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1798, दिनांक 06 जुलाई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा (18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरीपुर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(402-B)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरौआ, पंजीयन क्रमांक AR/GWR/540, दिनांक 31 मार्च, 1990 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1808, दिनांक 06 जुलाई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा (18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरौआ का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

आर. सी. शर्मा,
सहायक पंजीयक.

(402-C)

कार्यालय समानुदेशिती, गंगोत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 07 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./सामा./2013/क्यू.—गंगोत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 776, दिनांक 17 जून, 1999 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 2438, दिनांक 30 जुलाई, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1) (2) (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-18 [ए/क(2)] के अन्तर्गत मुझे समानुदेशिती नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, संभाग इन्दौर पर कार्यालयीन समय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. एल. कोरी,
समानुदेशिती.

(403)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जवासा, जिसका पंजीयन क्र. 501, दिनांक 16 मई, 1988 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/70, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वाराकला, जिसका पंजीयन क्र. 518, दिनांक 16 मार्च, 1988 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/69, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नुन्हाटा, जिसका पंजीयन क्र. 457, दिनांक 25 मार्च, 1987 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/71, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चन्द्रपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 511, दिनांक 16 मार्च, 1988 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/72, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ऊमरी, जिसका पंजीयन क्र. 344, दिनांक 04 मार्च, 1985 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/73, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लहरौली, जिसका पंजीयन क्र. 345, दिनांक 04 मार्च, 1985 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/74, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)

(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तखत की गढ़िया, जिसका पंजीयन क्र. 443, दिनांक 04 मार्च, 1985 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/75, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 342, दिनांक 04 मार्च, 1985 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/76, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलारपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 513, दिनांक 16 मार्च, 1988 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/77, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं

06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनेरा, जिसका पंजीयन क्र. 365, दिनांक 29 मार्च, 1986 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/78, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अहरौली घाट, जिसका पंजीयन क्र. 556, दिनांक 23 अप्रैल, 1988 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/79, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,दौनिया पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 341, दिनांक 04 मार्च, 1985 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/80, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी मेहगॉव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इटायदा, जिसका पंजीयन क्र. 506, दिनांक 18 मार्च, 1988 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/81, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री सुरेश सिंह, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी गोहद को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करवास जिसका पंजीयन क्र. 648, दिनांक 20 अप्रैल, 1989 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/82, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री सुरेश सिंह, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी गोहद को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,मसूरी, जिसका पंजीयन क्र. 656, दिनांक 04 मई, 1989 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/83, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गिगरखी, जिसका पंजीयन क्र. 697, दिनांक 09 अप्रैल, 1994 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/84, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चरथर, जिसका पंजीयन क्र. 368, दिनांक 29 मार्च, 1986 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/85, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., सिमार, जिसका पंजीयन क्र. 920, दिनांक 25 अगस्त, 2005 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/86, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., केरोरा, जिसका पंजीयन क्र. 921, दिनांक 25 अगस्त, 2005 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/87, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अन्तर्गत महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., हाऊसिंग कॉलोनी, भिण्ड जिसका पंजीयन क्र. 923, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/88, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौकी, जिसका पंजीयन क्र. 898, दिनांक 06 दिसम्बर, 2004 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/89, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी अटेर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत सूर्या सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड, जिसका पंजीयन क्र. 702, दिनांक 01 सितम्बर, 2004 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/90, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत माँ पीताम्बरा महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड, जिसका पंजीयन क्र. 901, दिनांक 13 जनवरी, 2005 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/91, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माताप्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत राधा महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिलौली, जिसका पंजीयन क्र. 902, दिनांक 01 मार्च, 2005 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/92, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत शीतला महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., परोख, जिसका पंजीयन क्र. 903, दिनांक 01 मार्च, 2005 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम् की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/93, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पार्वती महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अरेले का पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 905, दिनांक 03 मार्च, 2005 विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/94, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., द्यिलौआ, जिसका पंजीयन क्र. 908, दिनांक 18 मार्च, 2005 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/95, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उपेन्द्र सिंह
उप-पंजीयक.

(404-Z)

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, मेहगांव, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 162 क नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

संशोधित आदेश क्रमांक उपा./भिण्ड/परि./2012/314, भिण्ड, 22 मई, 2012 के आदेशानुसार निम्नलिखित दुग्ध सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक
1.	दुग्ध समिति, रौन	475/29-07-1987
2.	दुग्ध समिति, हीरापुरा	630/31-01-1989
3.	दुग्ध समिति, जैतपुरा मढ़ी	576/29-09-1988
4.	दुग्ध समिति, काथा	474/20-07-1987
5.	दुग्ध समिति, असनेट	824/22-08-2001
6.	दुग्ध समिति, स्यावली	573/29-09-1988
7.	दुग्ध समिति, बहुआ	444/22-12-1986
8.	दुग्ध समिति, रमपुरा-पाड़री	933/16-02-2006
9.	दुग्ध समिति, बोहारा	626/31-01-1989
10.	दुग्ध समिति, सुरधान	822/22-08-2001
11.	दुग्ध समिति, काशीपुरा-इंदुर्खी	819/22-08-2001
12.	दुग्ध समिति, जगनपुरा	469/29-07-1987
13.	दुग्ध समिति, चॉदोख	578/29-09-1988
14.	दुग्ध समिति, शोभाराम का पुरा	839/03-04-2002

1	2	3
15.	दुग्ध समिति, सोनेलाल का पुरा	940/20-05-2006
16.	दुग्ध समिति, विजयपुरा	619/31-01-1989
17.	दुग्ध समिति, छक्कीलाल का पुरा	834/02-04-2002
18.	दुग्ध समिति, मानपुरा	624/30-03-1988
19.	दुग्ध समिति, जैतपुरा	535/30-03-1988
20.	दुग्ध समिति, चंदावली	611/31-01-1989
21.	दुग्ध समिति, सिकरी जागीर	478/29-07-1989
22.	दुग्ध समिति, रायपुरा	931/16-02-2006
23.	दुग्ध समिति, मेहदा-धाट	489/09-09-1987
24.	दुग्ध समिति, गौरई	471/29-07-1987
25.	दुग्ध समिति, बंथरी	480/20-07-1987
26.	दुग्ध समिति, पड़रिया	817/31-05-2001
27.	दुग्ध समिति, टोला	545/30-03-1988
28.	दुग्ध समिति, कटघरा	867/08-08-2003
29.	दुग्ध समिति, रसूल पुरा	593/29-09-1988
30.	दुग्ध समिति, अम्लेडा	388/29-04-1986
31.	दुग्ध समिति, पिड़ोरा	391/29-04-1986
32.	दुग्ध समिति, शुक्लपुरा	478/11-12-1986
33.	दुग्ध समिति, सर्वा	322/18-03-1982
34.	दुग्ध समिति, सलमपुरा	316/03-03-1982
35.	दुग्ध समिति, चम्हैड़ी	801/24-11-2000
36.	दुग्ध समिति, तुकेड़ा	321/18-03-1982
37.	दुग्ध समिति, देहगॉव-2	319/03-03-1982
38.	दुग्ध समिति, चितौरा	322/31-07-1982
39.	दुग्ध समिति, सुरपुरा	430/20-09-1986
40.	दुग्ध समिति, उदन्नखेड़ा	439/11-12-1985
41.	दुग्ध समिति, वरौली	392/29-04-1986
42.	दुग्ध समिति, ईगुरी खोड़	583/29-09-1988
43.	दुग्ध समिति, जैतपुरा मेहगांव	535/30-03-1988

1	2	3
44.	दुग्ध समिति, कुअरपुरा	637/25-03-1989
45.	दुग्ध समिति, बिरखड़ी (रौन)	467/29-07-1987
46.	दुग्ध समिति, तुला का पुरा	913/23-03-2005
47.	दुग्ध समिति, अचलपुरा	629/31-01-1989
48.	दुग्ध समिति, ररी	472/29-07-1987
49.	दुग्ध समिति, चौरई	349/06-04-1985
50.	दुग्ध समिति, बाराहेट	473/29-07-1987
51.	दुग्ध समिति, अरेले का पुरा	792/28-09-2000

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, मेहगांव, जिला भिण्ड कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध सभी दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हों तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये हैं, तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं समक्ष अधिकारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के अनुमोदन उपरान्त किया जाएगा.

अतः सूचना आज दिनांक 20 मई, 2013 को मेरे एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. के. शर्मा,
परिसमापक.

(405)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2013-भाद्र 1, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 मई, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है:-

2. **जुताई.**—जिला बुरहानपुर, बैतूल में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला हरदा में फसल मूँग एवं मण्डला में रबी फसल की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, सतना, उमरिया, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 08 मई, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) गेहूँ, चना, ज्वार,बाजरा, मक्का, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. . .	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, गन्ना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, मक्का, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, चना, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		राई-सरसों, अलसी कम. मसूर,		
4. पवई	. .		मटर, आलू, प्याज अधिक.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ,राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. शामगढ़	. .				
11. मालथोन	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) उड़द, मूँग, गन्ना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. विरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	. .	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
7. रावटी	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		मसूर, जौ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) टमाटर, मिर्च अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. भामरा	. .				
***जिला अलीराजपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोबट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. राणापुर	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना,	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		राई-सरसों, मटर, मसूर, समान.		
4. सेगांव	. .		(2) . .		
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. वरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. मसूर, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मूँगमोठ अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. मूँग की फसल कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
4. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		अलसी, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	. .				
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, शहडोल, अलीराजपुर, बड़वानी व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(400)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.